पेशी ८/

18.8.25 पत्रावली पेश। वकील पक्षकारान उप वादीगण। द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं शपथनामा के आधार पर वाद। वादीगण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होने से। वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शा. पत्र किया गया। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय बइजलास श्रीमती सपना कुमारी (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद
जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 98 / 2024

तारीख दायरा 06.03.2024

उनवान

1. सुभाषचन्द पुत्र माधोलाल जाति किराड,
2. हंसराज पुत्र माधोलाल जाति किराड निवासीगण ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा।

– वादीगण

बनाम

1. पुरूषोत्तम पुत्र माधोलाल जाति किराड,
2. बाबूलाल पुत्र माधोलाल जाति किराड निवासीगण ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील सांगोद।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा।

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 आर. टी. एक्ट 1955

उपस्थित :–

दिनांक :– 18/8/25

श्री अनुतोष नागर (वकील वादीगण)

श्री रामप्रसाद नागर (वकील प्रतिवादीगण)

––निर्णय––

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता हस्तगत वाद में इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि –

- वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 व 2 आपस में सगे भाई हैं, जिनके संयुक्त कब्जे व उपयोग उपभोग की आराजी माल ग्राम लक्ष्मीपुरा पटवार हल्का कुराडिया खुर्द तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान में खाता सं. नई 149 की कुल 11.85 हेक्टर, खाता सं. नई 148 की कुल 1.71 हेक्टर, खाता सं. नई 282 की कुल 7.11 हेक्टर, खाता सं. नई 117 की

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

कुल 2.86 हेक्टर, खाता सं. नई 146 की कुल 2.49 हेक्टर व खाता सं. नई 261 की कुल 0.81 हेक्टर आराजी स्थित है।

- वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 व 2 एक ही पिता की सन्तान है अर्थात सगे भाई हैं। वाद पत्र में वर्णित आराजीयात को वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 व 2 मौके पर आपसी सहमति से शांति पूर्वक काबिज काश्त करते चले आ रहे हैं तथा वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने आराजी की किस्म व उपजाऊ क्षमता का मूल्यांकन करके रिश्तेदारान व परिवारजन की सहमति से पारिवारिक बंटवारा कर लिया है और आपसी सहमति से मौके पर किये गये बंटवारे अनुसार वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने कब्जा भी प्राप्त कर लिया है और मौके पर आपसी सहमति से हुए पारिवारिक बंटवारा अनुसार कब्जा प्राप्त कर शांति पूर्वक काश्त व उपयोग उपभोग भी करने लग गये हैं जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

हिस्सा वादी सं. 1 सुभाषचन्द –

माल ग्राम	ख.न.	श्रकबा है.
लक्ष्मीपुरा	822	1.71 है. संपूर्ण
	491	9.37 है. में से 4.69 है.
	660	0.50 है. में 1/3 हिस्सा

हिस्सा वादी सं. 2 हंसराज –

माल ग्राम	ख.न.	रकबा है.
लक्ष्मीपुरा	657/980	0.19
	834	0.81
	635	1.20
	712	0.25
	735	0.36
	736	0.08
	742	0.45
	657	0.32
	741	0.21
	472	2.49

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

	482	0.01
	741/514	0.22
	636	0.01

हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 पुरूषोत्तम –

माल ग्राम	ख.न.	रकबा है.
लक्ष्मीपुरा	589	0.20
	596	0.08
	597	0.73
	468	1.97
	471	1.97
	472	3.93 है. में से 1.44 है.
	660	0.50 है. में 1/3 हिस्सा
	743	0.32

हिस्सा प्रतिवादी सं. 2 बाबूलाल –

माल ग्राम	ख.न.	रकबा है.
लक्ष्मीपुरा	490	0.01
	491	4.68
	288	1.94
	660	0.50 है. में 1/3 हिस्सा

- उक्त वर्णित आराजीयात का वादीगण व प्रतिवादीगण ने आपसी सहमति से मौके पर रिश्तेदारान की उपस्थिति में बंटवारा कर लिया है और बंटवारे अनुसार ही वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 व 2 अपने–अपने हिस्से की आराजी को काबिज काश्त करते चले आ रहे हैं तथा उक्त अनुसार ही राजस्व रेकार्ड में अलग अलग हिस्सा दर्ज करवाना चाहते है।

उक्त वर्णित आराजीयात का वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने आराजी की किस्म व आराजी की उपजाऊ क्षमता को देखते हुए आपसी सहमति से अपनी स्वेच्छा से मौके पर बंटवारा किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

- उक्त आराजीयात मौके पर कब्जे काश्त अनुसार आराजी का विकास कार्य करवाने में काफी परेशानी का सामना करना पडता है, जिससे वादीगण द्वारा प्रतिवादी सं. 1 व 2 से मौके पर कब्जे काश्त अनुसार पूर्व में किये गये बंटवारे के अनुसार ही राजस्व रेकार्ड में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए कहने पर प्रतिवादी सं. 1 व 2 टालमटोल कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में वादीगण के लिए आवश्यक हो गया है कि माननीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत करके पूर्व में किये गये बंटवारे अनुसार राजस्व रेकार्ड में खाता विभाजन करवाना आवश्यक हुआ है, जिसके लिए माननीय न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।
- अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण के हक में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय की विभाजन की डिक्री सादिर पारित फरमायी जावे कि :–

माल ग्राम लक्ष्मीपुरा पटवार हल्का कुराडिया खुर्द तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान में खाता सं. नई 149 की कुल 11.85 हेक्टर, खाता सं. नई 148 की कुल 1.71 हेक्टर, खाता सं. नई 282 की कुल 7.11 हेक्टर, खाता सं. नई 117 की कुल 2.86 हेक्टर, खाता सं. नई 146 की कुल 2.49 हेक्टर व खाता सं. नई 281 की कुल 0.81 हेक्टर आराजी का वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा आपसी सहमति से किये गये पारिवारिक बंटवारा व मौके पर कब्जे काश्त अनुसार वाद पत्र में वर्णित अनुसार वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 व 2 के मध्य आराजीयात का बंटवारा किया जाकर वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन की डिक्री पारित फरमायी जावे तथा उक्त बंटवारे अनुसार राज लगान पृथक–पृथक किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। इस आशय की विभाजन की डिक्री सादिर पारित फरमायी जावे।

- उक्त वाद पत्र प्रस्तुत होने पर वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी सं. 1 व 2 की ओर से इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत किया जाकर वाद पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।
- इसके उपरान्त वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया गया तथा राजीनामे अनुसार वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया। वादीगण की पहचान वादी अधिवक्ता द्वारा एवं प्रतिवादीगण की पहचान प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा की गई। राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण में जवाब सरकार अप्राप्त है।
- इसके उपरान्त पत्रावली बहस में नियत की गई। अधिवक्ता उभयपक्षकारान द्वारा दौराने बहस राजीनामा अनुसार वाद स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

मेरे द्वारा बहस अधिवक्ता सुनी गई तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रकरण में तहसीलदार सांगोद फॉर्मल पक्षकार है। प्रकरण में वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 सगे भाई हैं तथा आपसी सहमति से हुए पारिवारिक बंटवारे अनुसार शामलाती आराजी का विधिवत विभाजन करवाने का अनुतोष प्राप्त करना चाहते हैं। पक्षकारा द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार वाद स्वीकार किया जाने योग्य प्रतीत होता है। अतः वाद वादीगण राजीनामे अनुसार स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिये जाते हैं कि –

- माल ग्राम लक्ष्मीपुरा पटवार हल्का कुराडिया खुर्द तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान में खाता सं. नई 149 की कुल 11.85 हेक्टर, खाता सं. नई 148 की कुल 1.71 हेक्टर, खाता सं. नई 282 की कुल 7.11 हेक्टर, खाता सं. नई 117 की कुल 2.86 हेक्टर, खाता सं. नई 146 की कुल 2.49 हेक्टर व खाता सं. नई 281 की कुल 0.81 हेक्टर आराजी में पक्षकारान को निम्नानुसार खातेदार कृषक घोषित किया जाता है –

1. वादी सं. 1 सुभाषचन्द के हिस्से की आराजी –

माल ग्राम	ख.न.	रकबा है.
लक्ष्मीपुरा	822	1.71 है. संपूर्ण
	491	9.37 है. में से 4.69 है. पूर्वी
	660	0.50 है. में 1/3 हिस्सा पूर्वी

2. वादी सं. 2 हंसराज के हिस्से की आराजी –

माल ग्राम	ख.न.	रकबा है.
लक्ष्मीपुरा	657/980	0.19
	834	0.81
	635	1.20
	712	0.25
	735	0.36
	736	0.08
	742	0.45
	657	0.32

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

741	0.21
472	2.49 है. उत्तर पश्चिम
482	0.01
741/514	0.22
636	0.01

3. प्रतिवादी सं. 1 पुरूषोत्तम के हिस्से की आराजी –

माल ग्राम	ख.न.	रकबा है.
लक्ष्मीपुरा	589	0.20
	596	0.08
	597	0.73
	468	1.97
	471	1.97
	472	3.93 है. में से 1.44 है. दक्षिण पश्चिम
	660	0.50 है. में 1/3 हिस्सा पश्चिम
	743	0.32

4. प्रतिवादी सं. 2 बाबूलाल के हिस्से की आराजी –

माल ग्राम	ख.न.	रकबा है.
लक्ष्मीपुरा	490	0.01
	491 का 1/2 हिस्सा	4.68 है. पश्चिम
	288	1.94
	660	0.51 है. में 1/3 हिस्सा मध्य

उपरोक्तानुसार पक्षकारान को विवादित आराजी में खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। उक्त घोषणा के अनुक्रम में वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 का खाता विभाजन किया जाकर राज लगान का अंकन भी पृथक–पृथक किया जावे तथा उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। विवादित आराजी पर रहन भार

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

होने की स्थिति में बैंक चार्ज पृथम होने के कारण रहन भार मूल खातेदार पर यथावत रहेगा। नियमानुसार जिम्मी पर्चा पृथक से जारी हो।

(सपना कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 18/9/25 को खुले न्यायालय मे मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सपना कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

Scanned with OKEN Scanner